मुख्यमंत्री ने बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए नई घोषणाएं कीं

जयपुर, 18 जुलाई। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को विधानसभा मे राज्य के वर्ष 2014–15 के बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए निम्न लोककल्याणकारी घोषणाएं कीः–

1. हमारी विगत सरकार ने राज्य में 25 जून, 1975 से मार्च, 1977 के दौरान घोषित आपातकाल में राजनैतिक या सामाजिक कारणों से MISA एवं DIR के अन्तर्गत राज्य के कारागारो में बंद राज्य के मूल निवासियों को पेंशन एवं चिकित्सा भत्ता देने हेतु ''राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियो को पेंशन नियम 2008'' बनाया था। इससे सम्बन्धित अधिसूचना राजस्थान राज–पत्र (Gazette) में दिनांक 17 सितम्बर, 2008 को प्रकाशित की गई थी। परन्तु, राजनैतिक दुराग्रह से गत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 19 जून, 2009 द्वारा इसे निरस्त कर दिया था।

   इन व्यक्तियों ने देश एवं राज्य में प्रजातंत्र एवं संवैधानिक ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु अनूठा कार्य किया था। अतः हमारी सरकार ने इन व्यक्तियों को एवं इनमें से दिवंगत व्यक्तियों के पति/पत्नियों को प्रतिमाह रूपये 12000/– पेंशन एवं 1200/– रूपये चिकित्सा सहायता प्रदान करने की मैं घोषणा करती हूं। यह सहायता दिनांक 1 जनवरी, 2014 से देय होगी।

2. राज्य के उद्योगों को विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में व्यापक सरलीकरण करने की आवश्यकता है। हम E-biz परियोजना के तहत Composite Application Form (CAF) लागू कर उद्योगों की त्वरित अनुमति मिलने एवं सरल compliance की व्यवस्था करेंगे।

3. श्रम विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाएं तथा 16 प्रमुख श्रम कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित तमाम विधिक प्रक्रिया को Online उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिससे उद्यमी, निवेशक तथा आम आदमी को बार–बार कार्यालयों में आने की परेशानी दूर होगी। इस Online व्यवस्था में किसी भी पत्रावली/प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के प्रत्येक चरण में हितधारी को SMS के जरिये प्रगति की सूचना दी जायेगी। सभी आवश्यक फीस/देय का भुगतान भी Online होगा। सुशासन एवं रोजगार सृजन की दिशा मे यह

व्यवस्था, जनहित के साथ राजस्थान में, Ease of Doing Business को अधिक सशक्त करेगा।

4. राज्य में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों के ईलाज के लिए 58 ट्रोमा सेंटर बनाये गये हैं। बीकानेर संभाग के दौरे पर सूरतगढ़ और रतनगढ़ में मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि स्टॉफ की कमी के कारण इन ट्रोमा सेंटर्स का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इन सभी ट्रोमा सेंटर्स को शीघ्र operational करने की मैं घोषणा करती हूं।

5. देश में pharmaceutical industry का कुल उत्पादन 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। इस उद्योग को राज्य में आकर्षित करने के लिए नई निवेश नीति के तहत pharmaceutical industry के लिए customize package का प्रावधान किया जायेगा।

6. राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैं राजगढ़ जिला चूरू, देवगढ़ जिला राजसमन्द, झाडोल जिला उदयपुर तथा बायतू जिला बाडमेर में नये महाविद्यालय खोलने की घोषणा करती हूँ।

7. राज्य में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के सतत् विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 2014–15 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति हेतु आवेदन पत्रों के online submission तथा disposal की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत उद्यमियों को अपने आवेदन पत्र की tracking की भी सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

8. प्रोबेशनर trainees को दो वर्ष की अवधि तक fixed remuneration देय है। मेरी सरकार ने प्रोबेशनर trainees के लिए fixed remuneration वर्ष 2008 में तय किये थे। पिछली सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में इन प्रोबेशनर trainees के पारिश्रमिक में संशोधन नहीं किया। राज्य में लगभग 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी fixed pay पर कार्य कर रहे हैं। मैं प्रोबेशनर trainees के fixed remuneration में 1 सितम्बर 2014 से 20 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा करती हूँ।

9. राज्य में पर्यटकों एवं यात्रियों की सुविधा हेतु चयनित किये गये पर्यटन स्थलों तथा बस स्टैंडों पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जायेगा।

10. राज्य के प्रत्येक जिले में किसान भवन स्थापित किये जा चुके हैं। इन भवनों का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रशिक्षण देना, उनके लिए जागरुकता

कार्यक्रम चलाना तथा रात्रि विश्राम की व्यवस्था उपलब्ध कराना है। हाल के कुछ वर्षों में इनका प्रयोग उद्देश्यानुसार नहीं किया जा रहा है। हम इन भवनों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए होगा, जिसके लिए हमने, अपने किसान भाईयों के लिए बनवाया था, इसकी मैं घोषणा करती हूं।

11. राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु मकान, संस्थान की छतों पर लगाये जा सकने वाले छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों पर विद्युत तंत्र की तकनीकी क्षमता तक Roof top net metering scheme प्रायोगिक तौर पर लागू करने की घोषणा करती हूँ। Net metering scheme लागू होने से अपनी स्वीकृत भार विद्युत क्षमता तक के छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र छतों पर लगाकर उससे उत्पन्न विद्युत को अपने उपयोग में लाने के साथ ही उत्पन्न हुई अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड में प्रवाहित कर सकेंगे।

12. 30 लाख से अधिक जनसंख्या के साथ जयपुर अब देश का 10वां सबसे बड़ा शहर है। इससे Traffic management, सफाई, safety एवं law and order के बहुत से challenges खड़े हो गये हैं। एक बार फिर इतने बड़े शहर के challenges को सम्भालना और शहर को safe और green रखना केवल सरकार का ही काम नहीं है, बल्कि जयपुर के हर नागरिक का भी। इसमें सरकार के अलावा औद्योगिक संगठन, व्यापार संगठन व अन्य गैर सरकारी/सामाजिक सेवा संस्थाओं सबके सहयोग की आवश्यकता है। इन सब के सहयोग से मैं जयपुर को एक safe और green city बनाने हेतु एक अलग से society या trust बनाने की घोषणा करती हूं।

13. समय के साथ बदलाव आता है, जैसे कि technology का तीव्र बदलाव। इसी प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों ने भी नये तरीके और नई technology को अपनाया है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का भी technological नवीनीकरण किया जावे और इनको video devices और hand printer जैसे यंत्र दिलवाये जावें। इसके लिए आवश्यक बजट उपलब्ध करवाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करती हूं। इस हेतु ब्यूरो की 8 Ranges, प्राथमिकी एवं शिकायत शाखा, विधि शाखा, अभियोजन शाखा और इंटेलिजेंस शाखा में 125 अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के पद सृजित किये जायेंगे। गोपनीय सत्यापन और

Investigation के लिए ब्यूरो को Audio और Video devices, hand printers और अन्य आधुनिक Aids and replacement of old vehicles के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया जायेगा। साथ ही, ब्यूरो की पुरानी जिप्सियों के स्थान पर नये वाहन चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

14. मैं इटावा तथा किशनगढ़ बास को नगरपालिका बनाए जाने की घोषणा करती हूं।

15. 21वीं शताब्दी में शौच हेतु हमारे नागरिकों को Toilet उपलब्ध न हों, यह हम सबके लिए एक शर्म का विषय है। राजस्थान में आज भी 1 करोड़ 15 लाख घरों में से 85 लाख घरों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अविश्वसनीय सा लगता है कि 9177 ग्राम पंचायतों में से 300 से ऊपर ही Open Defecation Free (ODF) घोषित हुई हैं, और 300 से ऊपर ODF घोषित होने की स्थिति में है। यानि हमारा लक्ष्य साफ है – शेष करीब 8500 ग्राम पंचायतों को भी ODF करने की मैं घोषणा करती हूं। मैं घोषणा करती हूँ कि इस वर्ष में 1000 और उसके पश्चात् आने वाले 3 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष 2500 ग्राम पंचायतों को ODF घोषित कराने का लक्ष्य राज्य सरकार का रहेगा। मुझे आशा है कि सदन में उपस्थित सभी सदस्यों की सहायता और सहयोग से हम इस पुण्य कार्य को वर्ष 2017–18 तक पूर्ण कर सकेंगे।

Taxation Related Announcements

16. संशोधित बजट 2014–15 में की गई घोषणा के अनुसरण में तम्बाकू पर प्रवेश कर वैट दर के बराबर 65 प्रतिशत किया गया है। राज्य में तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं पर इसके अत्यधिक भार को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य में विनिर्माण हेतु उपयोग में लायी जाने वाली तम्बाकू पर प्रवेश कर की दरों में आंशिक छूट देने की घोषणा करती हूं।

17. कॉरपोरेट या बड़े dealers जिनके एक से अधिक व्यवसाय स्थल है, उनको online declaration forms जारी करने हेतु multi-user सुविधा दिए जाने की घोषणा करती हूं।

18. वाणिज्यिक कर विभाग में सभी महत्वपूर्ण कार्य व्यवहारियों द्वारा ऑनलाईन किये जा रहे है, जिस हेतु व्यवहारियों को Digital Signature प्राप्त करना वांछित है। अतः 75 लाख रूपये तक के टर्नओवर वाले व्यवहारियों को उक्त Digital Signature सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

19. वर्तमान में राज्य में आयात किये जाने वाले Hydraulic excavators, Earth moving and mining machinery, Mobile crane, Hydraulic dumper आदि पर मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर तथा माल के प्रवेश पर कर के रूप में, दोहरा करारोपण हो रहा है। अतः मोटर वाहनों पर देय प्रवेश कर से इन्हें मुक्त किए जाने की घोषणा करती हूं।

20. राज्य में polyester filament yarn पर वैट की दर कुछ राज्यों से अधिक होने के कारण अधिकांश माल का आयात होता है। इसके उत्पादन को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए इस पर वैट की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। साथ ही 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाने की घोषणा करती हूं।

21. यह स्पष्ट किये जाने हेतु कि tissue paper पर 5 प्रतिशत व toilet tissue paper पर 14 प्रतिशत की दर से वैट देय है, Schedule V में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।

22. Stainless steel wire and stainless steel wire rod, toner तथा power tools की Schedule IV की प्रविष्टियों को दिनांक 01.04.2006 से प्रभावी किया गया है। इसे स्पष्ट करते हुए S.S. Wire and S.S. wire rod पर दिनांक 14.04.2011 तक कर दर 4 प्रतिशत व toner और power tools पर दिनांक 08.03.2010 तक कर दर 4 प्रतिशत रखते हुए आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।